रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 155] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 1993/श्रावण 22, 1915
No. 155] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 1993/SRAVANA 22, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1993

फा. सं. आर. डी. 11034/1/93 एस बी एल.—चुंगी, इसके यौक्तिकीकरण और इसकी वसूली की पद्धति में सुधारों आदि से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. समिति का गठन निम्नलिखित को शामिल करके किया जाएगा:—

(1) मुख्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल —अध्यक्ष

(2) मुख्य मंत्री, बिहार —सदस्य

(3) मुख्य मंत्री, गुजरात —सदस्य

(4) मुख्य मंत्री, हरियाणा —सदस्य

(5) मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र —सदस्य

(6) मुख्य मंत्री, उड़ीसा —सदस्य

(7) डा. राजा चलैय्या, भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार —सह-सदस्य

3. श्री एस पी. बागला, सचिव भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय समिति के सचिव होंगे।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) चुंगी लगाने वाले राज्यों में चुंगी लगाने और इसकी वसूली में संबंधित विभिन्न समस्याओं की जांच करना,

(ii) चुंगी के ढांचे और इसकी वसूली की प्रणाली को युक्ति-संगत बनाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच करना,

(iii) नगर निकायों के संसाधनों को प्रभावित किए बिना चुंगी लगाने और वसूल करने की प्रणाली को सरल करने के उपायों का सुझाव देना,

(iv) यदि चुंगी को जारी रखा जाता है तो चुंगी लगाने और वसूल करने की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव देना ताकि उत्पीड़न/कठिनाई, चोरी और प्राधिकार के दुरुपयोग को कम किया जा सके,

(v) चुंगी के स्थान पर कोई अन्य उपकर/कर/शुल्क लगाने की संभावना की जांच करना ताकि इस समय चुंगी लगाने वाले राज्यों/स्थानीय निकायों के वित्त साधनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े (इस मुद्दे की जांच करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों की भी जांच की जाए।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति जैसा आवश्यक समझे अपने सुप्रवाही दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी।

6. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय इस समिति के लिये सचिवालय प्रदान करेगा।

7. समिति 31 जनवरी, 1994 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए और इसे आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस. पी. बागला, सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

RESOLUTION

New Delhi, the 13th August, 1993

F. No. R. T. 11034|1|93-MVL.—It has been decided to constitute a Chief Ministers' Committee to examine the issues relating to Octroi, its rationalisation and improvements in the method of its collection, etc.

2. The Committee will consist of the following :—

(1) Chief Minister of West Bengal	Chairman
(2) Chief Minister of Bihar	Member
(3) Chief Minister of Gujarat	Member
(4) Chief Minister of Haryana	Member
(5) Chief Minister of Maharashtra	Member
(6) Chief Minister of Orissa	Member
(7) Dr. Raja Chelliah, Fiscal Adviser to the Government of India	Associate Member

3. Shri S. P. Bagla, Secretary to the Government of India, Ministry of Surface Transport, will be the Secretary of the Committee.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine various problems relating to levy and collection of octroi in the States where octroi is levied;

(ii) To scrutinise various proposals for rationalisation of octroi structure and system of its collection;

(iii) To suggest measures for simplifying the system of levy and collection of octroi without affecting the resources meant for civic bodies;

(iv) To suggest steps for modernisation of the system of levy and collection of octroi so as to reduce harassment|hardship, evasion and authority—if octroi were to be continued;

(v) To examine the possibility of replacement of octroi by any other levy|tax|duty in order that finance of States|local bodies presently levying octroi are not adversly affected (The recommendations of the Committee set up by Maharashtra Government to examine this issue may also be examined).

5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee will device its own procedures for its smooth and efficient functioning, as it condered necessary.

6. The Ministry of Surface Transport will provide the Secretariat for this Committee.

7. The Committee will submit its report by 31st January, 1994.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

S. P. BAGLA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993